

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 760/14

संस्थापन दिनांक:-29/10/14

फाईलिंग नं. 233504003412014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

मनोहर पिता रामा धुर्वे
 उम्र 32 वर्ष, निवासी ठानीमाल,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 07.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 09.10.2014 को समय 05:00 बजे या उसके लगभग फरियादी का खेत ग्राम ठानीमाल थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रमदी भलावी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रमदी भलावी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 09.10.2014 को शाम करीब 5 बजे अपने खेत पर काम कर रही थी। तभी अभियुक्त आया और उसे इंजन चलाने की बात पर से मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट कर धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे पीठ पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 820/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी रमदी भलावी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 रमदी बाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे मादरचोद की गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 यद्यपि साक्षी रमदीबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय मादरचोद की गालियां दिये जाने के संबंध में कथन

किये हैं। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148** अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 रमदीबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे धक्का देकर गिराया था। झूमा झटकी की थी जिससे उसके हाथ और पैर में चोट आयी थी।

9 डॉ. ललिता पाटिल (अ.सा.-5) ने दिनांक 10.10.2014 को सीएचसी आमला में महिला चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रमदी का परीक्षण किये जाने पर आहत के शरीर पर कोई चाचेट के निशान नहीं पाये थे। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-6) को प्रमाणित भी किया है।

10 सत्यनारायण पांडे (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 10.10.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 820/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 10.10.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है। साक्षी से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे साक्षी के द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा स्वयं फरियादी ने अभियोजन कथा के

अनुरूप कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में झम्माबाई (अ.सा.-2), तारुबाई (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में साक्षीगण ने कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में भी उपर्युक्त साक्षीगण ने घटना की जानकारी न होना बताया है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु मात्र उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है।

13 अभिलेख पर मात्र फरियादी की साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक फरियादी की एकल असंपुष्ट साक्ष्य का प्रश्न है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्टतः वर्णित है कि— *किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है।* इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465** के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रति पादित किया है कि — *एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है, अवलोकनीय है।*

14 रमदीबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके खेत की सुबह 10-11 बजे की है। घटना के समय उसने खेत में पानी का इंजन लगाया था। अभियुक्त ने एकदम से आकर उसका इंजन बंद कर दिया। जब उसने इस बारे में अभियुक्त से पूछा तो अभियुक्त उससे झूमा झटकी करने लगा और उसे धक्का मारकर गिरा दिया जिससे उसके हाथ, पैर पर चोट आयी थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से भी मारा था।

15 रमदीबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि खेत में लगे इंजन को लेकर उसका अभियुक्त से विवाद है। उसका मेडिकल मुलाहिजा नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में ही साक्षी ने यह बताया है कि इंजन की बात पर से उसने अभियुक्त से कहा कि तुम्हारे जमीन पर इंजन नहीं लगा है। इसके बाद अभियुक्त चला गया और वह बेहोश हो गयी। फिर उसे खेत के मजदूर उठाकर ले गये थे। इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई थी। उसे कोई चोट भी नहीं आयी थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त से उसकी कोई रंजिश, लड़ाई-झगड़ा नहीं है। अभियुक्त संबंध अच्छे हैं।

16 रमदीबाई (अ.सा.-1) अपने कथनों पर स्थिर नहीं हैं। अभियोजन कथा के अनुरूप भी साक्षी ने कथन नहीं किये हैं। साक्षी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रमदी भलावी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रमदी भलावी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त मनोहर को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)